<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-06092023-248581 CG-DL-E-06092023-248581

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3792]

नई दिल्ली, बुधवार , सितम्बर 6, 2023/भाद्र 15, 1945

No. 3792]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 6, 2023/BHADRA 15, 1945

वित्त मत्रांलय

राजस्व विभाग

(केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो)

आदेश

नई दिल्ली. 6 सितम्बर, 2023

का.आ. 3954(अ).—िवदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गितविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और दिनांक 29 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3572(अ) का अधिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा उक्त धारा के प्रयोजन के लिए भारत सरकार के संयुक्त सचिव (सीमा शुल्क) श्री अनुपम प्रकाश को विशेष रूप से अधिकार प्रदान करती है।

[फा. सं. पीडी-20001/03/2018-कोफेपोसा]

नरेश कुमार, उप सचिव

5727 GI/2023 (1)

MINISTRY OF FINANCE

Department of Revenue

(Central Economic Intelligence Bureau)

ORDER

New Delhi, the 6th September, 2023

S.O. 3954(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974), and in supersession of the Notification dated 29th July, 2022 issued vide S.O. No. 3572(E), the Central Government hereby specially empowers Shri Anupam Prakash, Joint Secretary (Customs) to the Government of India, for the purpose of the said Section.

[F. No. PD-20001/03/2018-COFEPOSA]

NARESH KUMAR, Dy. Secy.